भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता,

प्राप्त कराने के लिए तथा
उन सब में व्यक्ति की गरिमा

और राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर

हमारी इस संविधान सभा में
आज तारीख २६ नवम्बर, १९४९ के दिन,
एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित
और आत्मसमर्पित करते हैं।